

उत्तर प्रदेश शासन
राजस्व अनुभाग-11
संख्या- ३९३ / १-११-२०१८-४(जी) / २०१६
लखनऊ : दिनांक :: १७ अक्टूबर, २०१८

अधिसूचना

भारत सरकार द्वारा राज्य आपदा मोचक निधि और राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि (2015-20) से व्यय के संबंध में मानक एवं दरों को निर्धारित करते हुये पत्र संख्या 32-7 / 2014-एनडीएम-प्रथम, दिनांक 08.04.2015 के बिन्दु संख्या-13 में निम्न व्यवस्था दी गयी है:-

Items	Norms of Assistance
State specific disasters within the local context in the State, which are not included in the notified list of disasters eligible for assistance from SDRF/NDRF, can be met from SDRF within the limit of 10% of the annual funds allocation of the SDRF.	<ul style="list-style-type: none"> • Expenditure is to be incurred from SDRF only (and not from NDRF), as assessed by the State Executive Committee (SEC). • The norm for various items will be the same as applicable to other notified natural disaster, as listed above. or • In these cases, the scale of relief assistance against each item for local disaster should not exceed the norms of SDRF. • The flexibility is to be applicable only after the State has formally listed the disasters for inclusion and notified transparent norms and guidelines with a clear procedure for identification of the beneficiaries for disaster relief for such local disasters, with the approval of SEC.

2. भारत सरकार द्वारा की गयी उक्त व्यवस्था के क्रम में अधिसूचना संख्या-303 / १-११-२०१६-४ (जी) / २०१५, दिनांक 27.06.2016 एवं अधिसूचना दिनांक 02. 08.2018 द्वारा बेमौसम भारी वर्षा, आकाशीय विद्युत, आंधी तूफान एवं लू-प्रकोप, नाव दुर्घटना, सर्पदंश, सीवर सफाई एवं गैस रिसाव, तथा बोरबेल में गिरने से होने वाली दुर्घटना को राज्य आपदा घोषित किया गया है। अधिसूचना दिनांक 10.08.2018 द्वारा पूर्व में निर्गत अधिसूचना दिनांक 27.06.2016 को संशोधित करते हुए राज्य आपदाओं की सूची में अतिवृष्टि को भी सम्मिलित किया गया है।
3. शासन की उपर्युक्त अधिसूचनाओं द्वारा घोषित आपदाओं— बेमौसम भारी वर्षा, अतिवृष्टि, आकाशीय विद्युत, आंधी तूफान एवं लू-प्रकोप, नाव दुर्घटना, सर्पदंश, सीवर सफाई एवं गैस रिसाव, तथा बोरबेल में गिरने से होने वाली दुर्घटना के साथ ही प्रदेश में


मानव वन्य-जीव द्वन्द्व (Man-Animal Conflict) को राज्य आपदा घोषित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4. वन्य जीव की श्रेणी में बाघ (Tiger), शेर (Lion), तेन्दुआ (Leopard), भेड़िया (Indian Wolf), लकड़बग्धा (Hyena), मगरगच्छ (Crocodile), हाथी (Elephant), गौण्डा (Rhinoceros), एवं जंगली सुअर (Wild Boar) को सम्मिलित किया गया है।

5. वन्य जीव के आक्रमण से मृतक के परिजनों को ₹ 5.00 लाख की धनराशि राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत की जायेगी। राज्य आपदा मोचक निधि के मानक से अधिक व्यय होने वाली धनराशि ₹ 1.00 लाख वन विभाग द्वारा अपने विभागीय बजट से राजस्व विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

6. वन विभाग द्वारा वन्य जीव के रूप में शेर (Lion) एवं जंगली सुअर (Wild Boar) को सम्मिलित करते हुये अपने शासनादेश दिनांक 01.10.2014 में उक्तानुसार संशोधन किया जायेगा।

7. उक्त घोषित राज्य आपदाओं के संबंध में होने वाला व्यय अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक “2245—प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-05—स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फण्ड-800—अन्य व्यय-06—स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फण्ड से व्यय-09—राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु डिजास्टर रिस्पांस फण्ड से व्यय-42—अन्य व्यय” से वहन किया जायेगा।



सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, भारत सरकार नई दिल्ली।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ०प्र०, इलाहाबाद।
3. विशेष सचिव, मा० मुख्य मंत्री, उ०प्र० शासन।
4. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
5. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन।
6. प्रमुख सचिव, वन विभाग, उ०प्र० शासन।
7. समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
8. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
9. परियोजना निदेशक, उ०प्र० राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, लखनऊ।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5 उ०प्र० शासन।
11. राजस्व अनुभाग-10/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(श्याम मोहन तिवारी)
उप सचिव।